राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(32)नविवि/3/2002–पार्ट जयपुर, दिनांक :– 29 APR 2013

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)

विषयः– पत्रकारों के लिये विशिष्ठ आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु जारी किये गये विभागीय परिपत्र दिनांक 20.10.2010, 04.01.2011 एवं 28.02.2013 के संबंध में कार्यवाही करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2010, 04.01.2011 एवं पत्र कमांक एफ.3(1709)नविवि/3/2010 पार्ट–II दिनांक 28.02.2013 द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 में शिथिलता देते हुए पत्रकारों के लिये विशिष्ठ आवासीय योजना सृजित/कियान्वित करने एवं पत्रकारों को आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर भूखण्ड आवंटन करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देश पुनः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं:–

1. न्यूनतम निरंतर पांच वर्ष से राजस्थान में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्यरत हो। (प्रशिक्षण काल शामिल नहीं) आवेदन के समय संबंधित जिले में नियुक्त हो।
2. राष्ट्रीय समाचार पत्रों/संवाद समितियों/राष्ट्रीय पत्रिकाओं के संबंधित जिले में स्थित ब्यूरो प्रमुख/ब्यूरो में कार्यरत पत्रकारों के लिए सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
3. यह प्रमाणित करने के लिए कि वह पूर्ण कालिक श्रमजीवी पत्रकार है, संबंधित को अपने पत्र के संपादक द्वारा वर्तमान में पूर्णकालि सवैतनिक पत्रकार होने के प्रमाण पत्र के साथ भविष्य निधि खाते की रसीदें तथा नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर काटे जाने वाले आयकर का प्रमाण फार्म–16 आयकर विभाग में भरे रिटर्न का प्रमाण पत्र देना होगा।

   नोटः– "विभागीय पत्र दिनांक 28.02.2013 द्वारा शर्त संख्या 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :– भविष्य निधि खाते की रसीद और आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के स्थान पर भविष्य निधि खाते की रसीद अथवा आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।"
4. श्रमजीवी पत्रकार जिसकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो और न्यूनतम वार्षिक आय 80,000/– रूपये हो।
5. आवंटित भूखण्ड अथवा उसका कोई हिस्सा आवंटन के पश्चात 10 वर्षो तक विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
6. कॉलोनी की आवासीय भूमि में किसी तरह की कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं होगी।

7. आवंटी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि में तय मापदण्डों के अनुसार आवास का निर्माण करना होगा।
8. एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को आवंटन किया जायेगा। परिवार के मायने पत्रकार, उसकी पत्नी तथा अविवाहित–अवयस्क बच्चे है। वयस्क विवाहित बच्चों को परिवार की इस परिभाषा से अलग रखा जायेगा।
9. जो पत्रकार राज्य सरकार से आवंटित सरकारी/देवस्थान/अन्य किसी विभाग के मकान में रह रहे है, उन्हें भूमि आंवटन के दो वर्ष पश्चात् सरकारी मकान खाली करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।
10. जिन पत्रकारों ने पूर्व में राज्य सरकार से रियायती दर पर भूखण्ड लेने का लाभ ले लिया है, वे इस योजना में पात्र नहीं होगे।
11. विवाहित पुरूष आवंटियों के मामले में आवंटन पत्र में पत्नी का नाम भी अंकित किया जायेगा।
12. पत्रकार आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड हेतु ऐसे पत्रकार भी पात्र होगें जो राजस्थान के मूल निवासी तो है, लेकिन पत्रकारिता राजस्थान से बाहर कर रहे है।

(जी.एस. संधू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध हैं कि कृपया इन निर्देशों को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

29/4/2008

(एन.एल. मीना)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय